

फाइल सं. ए.12018/78/2019-कुष्ठ

भारत सरकार


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में रसोइया समूह 'ग' के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.जा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में रसोइया समूह 'ग' पद के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। manojkumar.upadhyay29@gov.in


(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली

दिनांक 30/11/22

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 2022

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ (रसोइया) अराजपत्रित भर्ती नियमावली, 2002, का उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में रसोइया (समूह-'ग' पद) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़, रसोइया (समूह-'ग' पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता- वह व्यक्ति-

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों या अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं।	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
रसोइया । *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	02* (2022)	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1 (18,000- 56,900रु .) ।	लागू नहीं होता ।	18 और 25 वर्ष के बीच* *यदि भर्ती अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो आयु सीमा 18 और 27 वर्ष के बीच	मैट्रिक उत्तीर्ण (किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण)	लागू नहीं होता । वांछनीय- किसी मान्यता प्राप्त अस्पताल/भोज नादि व्यवस्था/संस्थान में खाना बनाने का दो वर्ष का	दो वर्ष ।	सीधी भर्ती द्वारा शत प्रतिशत	टिप्पण- एक वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि के लिए दूर की गई प्रतिनियुक्ति तैनाती अथवा लंबी बिमारी अथवा अद्ययन अवकाश अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों के चलते हुई रिक्तियों को निम्नलिखित केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के बीच में से प्रतिनियुक्ति

				होगी। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी सेवकों के लिए 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। टिप्पणी: आयु-सीमा	अनुभव टिप्पण 1: अन्यथा पूर्ण अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों के मामले में योग्यता छूट सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर दी जाती है। टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता सक्षम (अर्हताएं) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम			आधार पर भरा जाएगा- (क) वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-1 में नियमित आधार पर समरूप पद; और (ख) स्तंभ -7 के अंतर्गत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित योग्यता।
--	--	--	--	---	--	--	--	--

का निर्धारण पर सक्षम
करने के प्राधिकारी की
लिए यह राय है
निर्णायक कि उनके
तारीख लिए आरक्षित
अभ्यर्थियों से आवेदन
रिक्तियों को
प्राप्त करने भरने के लिए
के लिए अपेक्षित
नियत की अनुभव रखने
गई अंतिम वाले उन
तारीख होगी समुदायों के
(न कि वह अभ्यर्थियों के
अंतिम पर्याप्त संख्या
तारीख जो में उपलब्ध
असम, होने की
मेघालय, सम्भावना
अरुणाचल नहीं है ।
प्रदेश
मिजोरम,
मणिपुर,
नागालैंड,
त्रिपुरा,
सिक्किम,
हिमाचल
प्रदेश के
लाहोल और
स्पीति जिले
तथा चम्बा
जिले के

पांगी
उपखंड,
लद्धाख,
अदंमान
और
निकोबार
द्वीप और
लक्षद्वीप संघ
राज्य क्षेत्रों
के
अध्यर्थियों
के लिए
विहित की
गई है।)

टिप्पण 2:
रोजगार
कार्यालय के
माध्यम से
की जाने
वाली भर्ती
की दशा में
आयु सीमा
अवधारित
करने के
लिए
निर्णायक
तारीख वह
अंतिम
तारीख होगी

					जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अध्यक्ष 2. उप-निदेशक, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य 3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रायपुर -सदस्य 	लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/78/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार